29 मार्च 2017

क्या तटीय सार्वजनिक क्षेत्र निजी पर्यटन और मनोरंजन के लिए दे दिए जाएँगें?

सी.पी.आर. – नमति पर्यावरणीय न्याय (EJ) कार्यक्रम द्वारा 'तटीय विनियमन' पर श्रृंखला का पहला भाग

तटों पर अधिक परियोजनाएँ आम लोगों के लिए उपलब्ध समुद्री किनारों को और मछुआरों और तटीय समुदायों को खतरे में डाल देगीं।

पिछले सप्ताह दो ऐसी समाचार रिपोर्टें[1] आई हैं जिन्होंने वर्तमान तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना (CRZ), 2011[2] के जल्द ही आने वाली समुद्री एवं तटीय विनियमन क्षेत्र (MCRZ) अधिसूचना से बदले जाने की बात कही है। समाचार रिपोर्टों की मानें तो दो बड़े बदलाव आने वाले हैं :– पहला – पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों को पर्यटन के लिए खोला जाएगा, और दूसरा – व्यावसायिक और मनोरंजन हेतु भूमि–भराव पर लगी हुई रोक हटा दी जाएगी। इन बदलावों का ऐसे लाखों स्थानीय लोगों पर गहरा बुरा असर होगा जिनका जीवन समुद्री किनारों और उनके पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य पर निर्भर है। वे तो पहले ही मौजूदा कानूनी उल्लंघनों का दाम चुका रहे हैं (नीचे उनका वर्णन किया गया है), परंतु ये प्रस्तावित बदलाव तो पूरी तरह से उनके हितों को दर–किनार कर देंगे।

तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना (CRZ), 2011 की पृष्ठभूमि

तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना (CRZ), 2011 भारत की 7500 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा पर विकास का निर्धारण करती है। यह भारतीय तट के एक छोर से दूसरे छोर तक, समुद्र से 500 मी. की दूरी तक की भूमि को CRZ अधिसूचित करती है। साथ ही साथ, इस CRZ में आने वाले पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों और पानी वाले क्षेत्रों के लिए विभिन्न नियम भी बतलाती है। तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना (CRZ), 2011 अपने मूलरूप में पर्यटन को केवल शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ही आने की अनुमति देती है, न कि पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों में। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह अनुमति कुछ सुरक्षा के तरीकों के साथ दी गई है, जैसे कि :

- यह पर्यटन से जुड़े निर्माण को उच्च ज्वार रेखा (High Tide Line - HTL) से 200 मी. की दूरी तक की भूमि में आने की अनुमति नहीं देती है। इस क्षेत्र को तटीय इलाकों की अति.संवेदनशीलता के मद्देनज़र, तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना (CRZ), 2011 'शून्य विकास क्षेत्र' (No Development Zone - NDZ) कहा जाता है।
- यह दो ऐसे निर्माणों के बीच 20 मी. की दूरी रखने का आदेश देती है, ताकि आम लोग समुद्री किनारों पर जा सकें।

---

[1] http://indianexpress.com/article/india/govt-plans-to-ease-coastal-rules-allow-land-reclamation-for-commercial-use-4579820/ और http://indianexpress.com/article/opinion/editorials/marine-coastal-regulation-zone-notification-government-draft-4581045/

[2] http://www.moef.nic.in/downloads/public-information/CRZ-Notification-2011.pdf

- यह नमकीन पानी के भू–जल में मिलने की संभावना को टालने के लिए HTL से 200 मी. की दूरी तक की भूमि से भू–जल निकालने पर प्रतिबंध लगाती है।

परंतु ये सभी सुरक्षा–उपाय शहरी क्षेत्रों के लिए अधिसूचना में एक संशोधन[3] के द्वारा फरवरी 2015 में निकाल दिए गए।

तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना (CRZ), 2011 व्यावसायिक और मनोरंजन के उद्देश्य से किए जाने वाले भूमि–भराव को प्रतिबंधित करती है। परंतु 2015 में ही पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने सड़कों[4], स्मृति स्थलों और स्मारकों[5] के निर्माण के लिए भूमि–भराव की अनुमति दे दी।

प्रभावित लोगों की आवाज़ें

हालिया समाचार रिपोर्टों के आधार पर ऐसा लगता है कि MoEFCC भूमि–भराव पर लगी रोक को पूरी तरह से हटाने पर और ऐसे तटीय क्षेत्रों में भी पर्यटन की अनुमति देने पर विचार कर रही है जो पारिस्थितिकीय तौर पर संवेदनशील हैं। इन क्षेत्रों के दरवाज़े और अधिक क्रियाओं के लिए खोलना तब समझ में आता है जब मौजूदा क्रिया–कलाप और मांगों को अच्छी तरह से संभाला जा रहा हो। सी.पी.आर. – नमति पर्यावरणीय न्याय (EJ) कार्यक्रम ने ऐसे कई केस दर्ज़ किए हैं जिनमें गैर–कानूनी भूमि–भराव और पर्यटन संबंधी उल्लंघन शामिल हैं। ये उल्लंघन उन लोगों पर गहरा प्रभाव डालते हैं जो इन क्रिया–कलापों के आस–पास रहते हैं। जैसा कि सी.पी.आर. – नमति के पर्यावरणीय न्याय संयोजक (ELC) बताते हैं, ये केस ये दर्शाते हैं कि लाखों मछुआरे, परंपरागत तरीके से नमक बनाने वाले और चिप्पै और सीपियां (clam) जमा करने वाले किस तरह नए विकास के अवसरों के लिए जगह बनाने के लिए अपने जीवन को बदलने पर मजबूर होते हैं। आय में कमी, अपने कार्यक्षेत्र, पानी के स्रोत, आदि तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करना, और यहां तक कि अपने काम करने की जगह बदलना इनमें से कुछ ऐसे बदलाव हैं। साथ ही साथ, उन्हें इन परियोजनाओं के चलने के नतीजतन होने वाले बुरे पर्यावरणीय प्रभावों को भी झेलना पड़ता है। अतः ऐसी नीतियों के आने पर जो उनके अस्तित्व और उनकी तटीय क्षेत्रों की ज़रूरत को नकारती हैं; उनका जीवन और आजीविका जो समुद्री किनारों के पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य के साथ ही इस से भी जुड़े हैं कि उन्हें सार्वजनिक स्थानों तक अप्रतिबंधित पहुंच प्राप्त हो, पर खतरा मंडराने लगता है। नीचे दिए गए उपाख्यान पर्यटन परियोजनाओं और व्यावसायिक प्रयोजन से किए गए भूमि–भराव के तट और वहां के स्थानीय लोगों पर होने वाले प्रभावों पर रोशनी डालते हैं।

[3] http://environmentclearance.nic.in/View_order.aspx?rid=7
[4] http://www.moef.nic.in/sites/default/files/3552(E).PDF
[5] http://envfor.nic.in/sites/default/files/SO%20NO.556%20E-12302012072610.pdf

पहले कथानक[6] में विनोद पाटगर CRZ अधिसूचना में निहित ऐसे पक्षपात पर बात कर रहे हैं जिसने पर्यटन और विकास को तो बढ़ावा दिया है, परंतु उत्तर कन्नड़, कर्नाटक के तटीय समुदायों के लिए असुविधाएं बढ़ाई हैं।

'Today, in the district, the tourism industry and government developmental projects occupy at least 18 percent of the coast that was once the home of traditional fisherfolk and coastal farmers. This has not only affected the poor families who have sold their lands at throwaway prices, but also large sections of the coastal communities who eventually lose access to the beachfront and the village commons.'

अगला विवरण[7] मुंद्रा, गुजरात के रहने वाले विमल कलवाडिया के द्वारा है। वे एक व्यावसायिक तौर पर नमक बनाने वाली कंपनी द्वारा बावड़ी बंदरगाह, मुंद्रा पर किए जाने वाले भूमि–भराव का ज़िक्र करते हैं।

"Neelkanth, a large salt production company, procured a lease for salt production on the bander. It then started to bund, by reclaiming the sea using stones and soil, more than one kilometer of the inter-tidal area to create saltpans to divert and collect seawater for the production of salt.

Exactly where Neelkanth had carried this out, a fishing community would spend 7-8 months every year, fishing with small boats or on foot (known as pagadiya fishing). They used the tidal area for parking their boats but once the bund was built, they had to keep their boats far into the sea and further away from the coastline and so faced difficulties in the transfer of the fish catch from the boats on the harbour where it would be sorted and dried before being sold. This was not all. The construction of bunds also destroyed approximately 20 hectares of mangroves."

आखिरी कहानी[8] फिर से विनोद ने लिखी है। यह एक बड़ी पर्यटन परियोजना नायक हॉस्पिटैलिटीज़ (Nayak Hospitalities - NH) द्वारा उत्तर कन्नड़, कर्नाटक के एक तटीय गांव बाड में किए CRZ अधिसूचना के अनेक उल्लंघनों के बारे में है। वे बताते हैं कि NH ने कई CRZ नियमों का उल्लंघन किया है : NDZ में निर्माण किया, समुद्री किनारे तक लोगों के पहुंचने के ज़रिये को बंद किया, और HTL से 200 मी. की दूरी की भूमि से भू–जल निकाला। वे इन उल्लंघनों के प्रभावों को स्पष्ट करते हैं।

"...farmers' fields, some public wells, and even a cremation yard, was acquired. Public access to a beach was also blocked. The loss of the wells affected the supply of drinking water to three villages – Baad, Jeshtapura, and Gudeangadi. After NH built a wall of about 15 to 20 metres height around the occupied land, fresh breeze from sea stopped blowing into the village."

[6] http://www.indiatogether.org/crz-why-coastal-communities-hate-these-three-letters-environment
[7] http://blog.mylaw.net/how-we-used-the-law-to-reclaim-bavdi-bander/
[8] http://blog.mylaw.net/construction-karnataka-leading-small-revolution/

तटीय उल्लंघनों पर सरकार की प्रतिक्रिया

ऊपर दिए विवरण ये दिखाते हैं कि किस तरह व्यावसायिक गतिविधियां और पर्यटन परियोजनाएं अधिसूचना का निरा उल्लंघन कर के परंपरागत व्यवसायों पर चोट करती हैं। ये उल्लंघन इसी तरह बिना किसी रोकटोक के बने रहते हैं, क्योंकि उल्लंघन करने वालों के या तो राजनीतिक संबंध होते हैं, या सरकारी एजेंसियां उन पर अपनी कृपा–दृष्टि बनाए रखती हैं, या उन्हें विकास का प्रतीक समझा जाता है। ऐसा लगता है कि CRZ कानून के अमल के लिए की गई व्यवस्था इन उल्लंघनों को रोकने में सक्षम नहीं है।

सी.पी.आर. – नमति के ELC पिछले दो साल से अच्छी तरह लिखी गई शिकायतें ज़िला स्तर पर तटीय कमिटियों और राज्य स्तर पर तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों के पास लेकर जा रहे हैं। वे अब तक करीब 20 केसों में इन संस्थानों से उपायों की मांग कर चुके हैं। वे कुशल तरीके से उल्लंघनों के प्रमाण इकट्ठा करते हैं और उन्हें अपनी शिकायतों के साथ पेश करते हैं। फिर भी उन्हें इन संस्थानों को बार–बार लिखना पड़ता है, 3–4 बार उनके दफ़्तर जाना पड़ता है, तब कहीं जाकर से संस्थान इस बात को मानते हैं कि लोगों द्वारा झेली जा रही समस्याएं किसी CRZ उल्लंघन के कारण हैं। परंतु इतना सब होने के बाद भी समस्या का समाधान आसानी से नहीं मिलता।

ऊपर दी सभी कहानियां सरकारी संस्थानों से कानून पर अमल और समस्याओं के समाधान निकलवाने में आने वाली चुनौतियों को उल्लेखित करती हैं। ऐसी और कहानियां जो CRZ उल्लंघनों पर और समुदायों के प्रयासों पर आधारित हैं, हमारी हालिया रिपोर्ट[9] जो पर्यावरणीय कानूनों की प्रभावकारिता पर हैं, में मिल सकती हैं। अगर हालिया स्थिति ऐसी है तो समुद्री किनारों के दरवाज़े और ऐसी गतिविधियों के लिए खोलना मछुआरों और तटीय समुदायों के लिए और भी अधिक महँगा और संकटपूर्ण साबित होगा।

इस श्रृंखला का अगला भाग CRZ अधिसूचना, 2011 में 2014 से अभी तक किए गए बदलावों पर होगा।

[9] http://www.cprindia.org/research/reports/how-effective-are-environmental-regulations-address-impacts-industrial-and